GOSSNER EVANGELICAL – LUTHERAN CHURCH IN CHOTANAGPUR AND ASSAM

GELC ARCHIVE

Signature: **GELC-A _ 001 _ 0045**

Classification:

Original File No.

Title

Lutheran School-1962

Volume:

Running **from year: 1962** **till year:**

Content:

- Letters Inspector of School, S E Anchal Khunti, Kumhari.

Lutheran School

1962

- - - - - - -

8. <u>Security Money Deposit</u> :-- It has not been deposited as yet. But it was reported to me that money had been secured. A sum of Rs.500/- is to be deposited as security money in the Savings Bank account.

9. <u>Game articles</u> :-- The school has a foot ball and a hockey ball.

10. <u>Conclusion</u> :-- The school has to exert much in order to fulfil all condtions for achieving recognition of the school.

The following conditions are to be fulfilled for recognition :-

(i) Two trained Matriculate teachers be appointed.
(ii) Account for last three years be prepared.
(iii) Financial status be stabilized.
(iv) Five acres of land be registered.
(v) Books worth Rs.500/- be purchasedf for the school library
(vi) Security Money amounting to Rs. 500/- be deposited.
(vii) The building be completed.
(viii)Necessary furniture and teaching appliances be provided.

11. <u>Compliance Report</u> :-- A compliance report may be sent to this office within a month from the date of issue of the visit-note.

Memo-No 284/62

sd/ H. Samad
27.8.62
Inspector of Schools,
S. E. Anchal.

Copy to the

Head Supervisor,
Lutheran Schools
Ranchi.

Date of receipt 6-9-62
Diary No. 127
File No. E-8
ANCHAL...
Reply

OFFICE OF THE INSPECTOR OF SCHOOLS S. E. ANCHAL

Kadma, Khunti.

Appointment Order.

Shri Nebeyan Kongari, B. A., is appointed Headmaster in the Prop Lutheran Middle School, Karanjtoli, P. O. Bingda, Dt. Ranchi. The appointment will be with effect from the 4th of September '62. His salary will be Rs. 60- 2- 80 E B -2- 100 plus Headmastership allowance of Rs. 5/- p. m.. He is direcyed to submit his joining report to the undersigned through the Secretary of the School.

H Samad 4.9.62
H. Samad
4- 9- 62
Inspector of Schools.
S. E. Anchal

Memo No. 274/62 Dated 4-9-62
Copy forwarded to

(1) Rev. M. Vengra, Secretary,
Prop, Lutheran Middle School, Karanjtoli.
(2) Shri N. E. Horo, Head Supervisor,
Lutheran Schools, Ranchi.
(3) Rev. I. Guria, Synod Sanchalak,
Burju, for information.

H Samad 4.9.62
H. Samad
4. 9- 62

Inspector of Schools
S. E. Anchal

श्रीमान्

हेड सुपरवाइजर [illegible] कार्यालय रांची।

Date of receipt 5/9/62
Diary No. 123
File No. E-9
No. & date of issue of reply

महाशय — जोन्हाटोली प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय की प्रस्वीकृति के लिये 500) रु डिपोजिट हो चुकी है। आप के पत्रांक 693/62 सी. डी. दिनांक 24.8.1962 के आदेशानुसार निम्न शर्तें पूरी किई गई है।

I शिक्षक वृन्द :— प्रधानाध्यापक श्री इलियाजर बागे
आई. ए. पास।
द्वितीय शिक्षक श्री शरण बागे
मैट्रिक पास।

II जमीन 2 एकड़ की है।

III पुस्तकालय — कुछ किताबें काफी है।

I इसकी पूर्ति के लिये भी प्रयास की जा रही है।
II सुनने में आता है कि बी.डी.सी. की मिटिंग में भी हमें मदद मिलने की आशा दी गई है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस को प्रस्वीकृती के लिये महान कष्ट उठावेंगे। इसके वास्ते श्रीमान के हम चीरस्थायी धन्यवादी हैं।

प्रबन्ध समिति :—

सेक्रेटरी .. दाउद डांग जोन्हाटोली
26. 8. 62.

सभापति — जयमसीह तोपनो 26. 8. 62
उप सभापति — मार्टिन कन्डुलना 26-8-62
खुस्त कल्याण बागे जोन्हाटोली
26-8-62
नैमन सुरिन का. स.
मसीहदास बागे का. स.
सामुएल बागे का. स.
नुबन्धो बागे का. स.
मार्टिन [illegible] बागे का. स.

Ldw 16/5/62

कुम्हारी
तिथि- 10-5-62

Date of receipt 17-5-62
Diary No. 67
File No E-7
No. and date of reply

सेवा में,

श्रीमान् प्रधान पर्यवेक्षक,
लूथेरान स्कूलस राँची।

महाशय,

सविनय निवेदन ऐसा है कि मैं १९५८ ई०से प्रस्तु० लूथेरान माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी में एक शिक्षक हो कर काम किया। अब मेरी इच्छा है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करूँ। अतः मुझे स्कूल से प्रशिक्षण अवधि तक के लिए छुट्टी देने की कृपा करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद फिर से शिक्षक का काम करूँगा।

श्रीमान् से पुनः निवेदन है कि हो सके तो मुझे "सन्त पौल" शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राँची में ही बहाली करने की कृपा करेंगे इस दया के लिए मैं सदा धन्यवादी बना रहूँगा।

आप का विश्वासी
शिक्षक
प्रभुदयाल आईन्द
प्र० लू० मा० विद्यालय
कुम्हारी।

62
14.5.62

Recd. 14/5/62

7-E.

कार्यालय
प्रस्त० लूथेरान माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी।
तिथि- ८-५-१९६२- पत्रांक - 6/६२

सेवामें,

श्रीमान प्रधान पर्यवेक्षक,
लूथेरान स्कूलस रांची।

महाशय,

मैं सब इन्सपेक्टर बसिया के कथानुसार श्री जगन्नाथ सिंह को ओ यूनिट से बहाल हो कर हमारे माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी में काम करने के लिए आए हैं ट्रेन्ड होने के कारण अपने लाचारी पर प्रधान का चार्ज दिया परन्तु आप के आदेशानुसार मैं ने उससे पूरा चार्ज ले लिया। परन्तु तिथि ७-५-६२ को विद्यालय उपनिरीक्षक गुमला, आए और स्कूल का निरीक्षण किए। उन्होंने मुझसे अनट्रेन्ड का आरोप लगा कर जोर के साथ कहा कि जब एक ट्रेन्ड शिक्षक के होते अनट्रेन्ड क्यों कर प्रधान हो सकते हैं। फिर जब कि सरकार उसे ७० रु० दे कर काम कराती है तो कैसे उसका स्कूल में ज्यादे अधिकार नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब यदि मिशन ट्रेन्ड शिक्षक दे तौभी ई० आई० पी० यूनिट से जो शिक्षक बहाल हो कर आए और प्रधान हो कर हैं वे ही रहेंगे। यह कहाँ तक जायज है। अभी स्कूल कमिटि इस स्कूल को सरकार को जिम्मा नहीं दी है। वह अभी तक मिशन की देख रेख में है। फिर दूसरी समस्या है जैसा उन्होंने कहा कि अब जितना भी फीस (गैर आदिवासियों से) वसूला जाएगा वह जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में भेज दिया जाएगा। इससे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि स्कूल की ~~ऐसी~~ दशा क्या होने वाली है।

फिर उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस स्कूल को जब सरकार शिक्षक दी है तब से जानता हूँ। जब की पहले के उपनिरीक्षक द्वारा दो बार निरीक्षण हो चुकी है। उन्होंने न दाखिला बही, न परीक्षा फल बही न शिक्षक हाजरी बही देखा। ऐसा उन्होंने जताया कि यह स्कूल अप्रैल १९६२ से चल रही है। इसलिए अब तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्या किया जाए यदि ऊपर से इसकी पूरी जानकारी न दी जाए तो सरकारी अधिकारियों द्वारा यह स्कूल पूर्णरूपसे ई० आई० पी० होने में सन्देह नहीं है।

आप का विश्वासी
भाजन
[signature]
८/५/६२

श्रीमान् हेड सुपरवाईजर लुथेरन स्कूल्स
कार्यालय रांची।

महाशय,

आप के पत्रांक ६२ दिनांक २४-४-६२ के आधार पर सादर सूचित करते हैं कि माध्यमिक विद्यालय अम्बापानी, जनता के अथक प्रयत्न से ६ दिसम्बर १९६० को ही पूर्ण प्रस्वीकृति प्राप्त कर चुकी है। प्रस्वीकृति के प्रायः शर्तें पूरे हो चुके हैं। सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री बाकी है।

आप का विश्वस्त,
जे. डुंगडुंग
प्रधानाध्यापक
माध्यमिक विद्यालय
अम्बापानी।

तिथि २-५-६२

Date of receipt	E-13
Diary No	—
File No.	60
No. and date of reply	11-5-62

विनोद पर्यवेक्षक का कहना है
कि जो ई० आई० पी० यूनिट से हैं
वे प्रधान नहीं हो सकते हैं। और
S.J. Basia कहते हैं कि नहीं पहले
का शिक्षक प्रधान नहीं हो सकते हैं
क्योंकि वे अनट्रेंड हैं। अब हमें
यह दुःख है कि तब कौन प्रधान
होगा। इसलिए हमें समझ में नहीं
आ रहा है कि कैसा किया जाये
अतः आप से अनुरोध है कि शीघ्र ही
इसका उत्तर हमें दे कर काम को और-
चलाने के लिए सलाह दें। कृपा रखें। आपका विश्वासी, [illegible]
16-8-62

पोस्ट कार्ड
POST CARD
जवाबी
REPLY
केवल पता
ADDRESS ONLY

प्रधान पर्यवेक्षक
ल्यूथरन स्कूल्स रांची
पो० रांची।

प्रधानाध्यापक,

प्र० लूथेरान माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी, E-7

प्रधानाध्यापक
प्र० लूथेरान माध्यमिक विद्यालय
कुम्हारी

Rec 1/5/62

तिथि - १६-४-६२. पत्रांक ४/६२

सेवा में,

श्रीमान् प्रधान पर्यवेक्षक,

लूथेरान स्कूलस रांची,

(विषय :- प्रधान शिक्षक का भार किसे मिलना चाहिए?)

महाशय,

यह सूचना आप के समक्ष इस निमित्त पेश करता हूँ जो हमारे लिए समझ में नहीं आ रहा है। आप इसका उचित सलाह दे कर हमें सन्तोष करने की कृपा करेंगे। हमारे माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी में एक शिक्षक ई० आई० पी० यूनिट से बहाली हो कर आ गए हैं एवं तिथि २६-३-६२ से काम भी शुरू कर दिए हैं। अब सवाल है प्रधान शिक्षक कौन रहेंगे। वे मैट्रिक ट्रेंड हैं।

E-7

58
8/5/62

Ref
8/4/62

प्रधानाध्यापक,
प्रस्तावित लूथेरान माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी।
तिथि- ३-५-६२- पत्रांक - ६/६२

सेवा में,
श्रीमान् प्रधान पर्यवेक्षक,
लूथेरान स्कूल्स राँची।

(विषय:- यूनिटों का मिशन स्कूलों में अधिकार एवं महत्व)

महाशय,

उपरोक्त विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसा प्रबन्ध है। मैं १९५८ साल से अब तक जब से स्कूल खड़ा किया गया मैं एक शिक्षक हो कर काम करता आ रहा हूँ। अभी सरकार की ओर से एक शिक्षक बहाल हो कर आए हैं। वे स्कूल में काम कर रहे हैं तिथि २६-३-६२ से। सुनते हैं यूनिट से हो कर वे शिक्षक हैं और उन्हें अब लू० माध्यमिक विद्यालय का प्रधान शिक्षक होने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। मैं जो वहाँ इतने दिनों तक काम किया मुझे क्यों कर यह सूचना नहीं मिली कि यूनिट में मिल गया है। मुझे यह भी सूचित नहीं किया गया है कि आप के स्कूल के लिए एक शिक्षक भेजा जा रहा है जो प्रधान शिक्षक हो कर काम करेंगे। अब यह समस्या है कि कौन प्रधान शिक्षक हो कर काम करेंगे। दूसरी बात कि अधिकारियों का कहना है कि अब यूनिट होने के कारण आदिवासी विद्यार्थियों से फीस लेना नहीं है, हम उसे मानते हैं परन्तु फिर भी कहा जाता है कि जिनसे फीस लिया जाएगा वह नगद पोस्ट आफिस में जमानत रखा जाए अब जब हम दो शिक्षक काम करते हैं एक को सरकार की ओर से वेतन मिलेगा दूसरा को नहीं मिलेगा उसका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। क्या अधिकारियों को इतने दिनों तक स्कूल चला उसका कोई शिक्षक था या नहीं मालूम नहीं थी। या तो यह भी लिख दिया जाय कि पहले का शिक्षक निकाला जा कर यूनिट शिक्षक ही काम करें। इसलिए जब तक आदेश नहीं मिलता मैं प्रधानाध्यापक का पद नहीं छोड़ूंगा। यदि यूनिट देना ही था तो पहले के शिक्षक को ही क्यों नहीं दिया गया।

आप का विश्वासी
भजन
(मंगल ओड़ेया?)
३/५/६२

कॉपी:- (१) जिला शिक्षा अधीक्षक राँची,
(२) विद्यालय उप निरीक्षक गुमला,

प्रधानाध्यापक
प्र० लूथेरान माध्यमिक विद्यालय
कुम्हारी